न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

प्रशासन गावो के संग अभियान/कैम्प कोर्ट :– ग्राम पंचायत माजरा अहीर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 129/2019

दायर दिनांक :– 09.12.2019

निर्णय दिनांक :– 12.11.2021

उनवान

01. मौसम देवी पत्नी मुकेश जाति अहीर निवासी बाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

——वादीया

बनाम

01. राजस्थान सरकार जर्ये जिलाधीश महोदय अलवर जिला अलवर राज0
02. श्रीमान तहसीलदार साहब बहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर तहसील बानसूर जिला अवलर राज0
03. मौसम देवी पत्नी मुनेश जाति अहीर निवासी बाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

——प्रतिवादी असल

दावा इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राजात

अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागणः–

01. वादीयाः– श्री धर्मपाल एड.
02. प्रतिवादीगणः– पैरोकार सरकार

निर्णय

आज यह पत्रावली मेरे समक्ष प्रशासन गावो के संग अभियान/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बाबरिया में वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1949 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1987 रकबा 0.76 हैक्टेयर, 1093 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1096 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 1919 रकबा 0.49 हैक्टेयर, 1925 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 1935 रकबा 0.39 हैक्टेयर, 1936 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1948 रकबा 0.11

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

हैक्टेयर, 2464 रकबा 0.56 हैक्टेयर, 2465 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 2463 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 1947 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 1091 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1602 रकबा 1.27 हैक्टेयर, 1002 रकबा 0.43 हैक्टेयर, 1019 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 1089 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1090 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1115 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1118 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1029 रकबा 1.02 हैक्टेयर वाके मौजा बाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 की आराजी है। जिसे वाद पत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। के खातेदार प्रहलाद पुत्र गोपाल जाति अहीर निवासी बाबरिया वाले से उसका हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी व आराजी खसरा नम्बर 2464 रकबा 0.56 हैक्टेयर, 2465 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 1091 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1602 रकबा 1.27 हैक्टेयर, 1002 रकबा 0.43 हैक्टेयर, 1029 रकबा 1.02 हैक्टेयर राजस्व ग्राम बाबरिया की आराजी के खातेदार भगवाना उर्फ भगवान पुत्र गोपाल जाति अहीर निवासी बाबरिया वाले से उसका हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी वादीया व श्रीमति सन्तोष देवी पत्नी लक्ष्मण व सरोज देवी पत्नी बस्तीराम जाति अहीर निवासी बाबरिया ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा संख्या 3712 दिनांक 12.12.2012 व बयनामा संख्या 3709 दिनांक 12.12.2012 से बहिस्सा बराबर बराबर खरीद किया गया था और बयनामा के आधार पर इन्तकाल स्वीकार होकर राजस्व अमल जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज हो गई और वादीया विवादित आराजी पर वक्त खरीद के समय से मौके पर अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। विवादित आराजी वादीया की जरियें रजिस्टर्ड बयनामा की खरीद सुदा आराजी है जिसका बयनामा लिखते समय टाईपिस्ट ने वादीया के पति का नाम मौसम पत्नी मुकेश की जगह मौसम पत्नी मुनेश दर्ज कर दिया तथा ग्राम पंचायत ने भी गलत नाम का रिपीटेशन करते हुये इन्तकाल दर्ज कर दिया गया और इन्तकाल के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अमल करते समय भी वादीया का नाम मौसम पत्नी मुकेश के बजाय मौसम पत्नी मुनेश ही दर्ज कर दिया जो खिलाफ कानून व खिलाफ कब्जा मौका दर्ज किया गया जो राजस्व रिकार्ड गलत कायम किया गया है। जबकि वादीया के पति का सही नाम राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, पहचान पत्र व अंकतालिका में मुकेश पुत्र भगवाना है जिसको दुरूस्त करवाने बाबत यह दुरूस्ती दावा पेश करना लाजिम आया है।

वाद पत्र दर्ज पंजिका किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार सरकार ने बिन्दुवार अपना जबाब प्रस्तुत किया गया।

वादीया की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में बयनामा की फोटो प्रति राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड पेश किये। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड व राशन कार्ड में प्राथीया के पति का नाम मुकेश यादव दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड़ में प्रार्थीया के पति का नाम मौसम देवी पत्नी मुनेश दर्ज है। प्रार्थीया ने अपने पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मुनेश की बजाय मुकेश दुरूस्त करवाना चाहा है। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत आधार कार्ड व जनआधार कार्ड

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

दस्तावेज पेश किये है। जिनके आधार पर प्रार्थीया के पति का नाम मुनेश की जगह मुकेश दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

वादीया का वाद स्वीकार कर आदेश है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1949 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1987 रकबा 0.76 हैक्टेयर, 1093 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1096 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 1919 रकबा 0.49 हैक्टेयर, 1925 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 1935 रकबा 0.39 हैक्टेयर, 1936 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1948 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 2464 रकबा 0.56 हैक्टेयर, 2465 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 2463 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 1947 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 1091 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1602 रकबा 1.27 हैक्टेयर, 1002 रकबा 0.43 हैक्टेयर, 1019 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 1089 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1090 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1115 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1118 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1029 रकबा 1.02 हैक्टेयर वाके मौजा बाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 में दर्ज मौसम पत्नी मुनेश के बजाय मौसम पत्नी मुकेश दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राजात यथावत रहें। आदेश की पालना में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
बानसूर अलवर
बानसूर (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बाबरिया में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
बानसूर अलवर
बानसूर (अलवर)

न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

प्रशासन गावो के संग अभियान/कैम्प कोर्ट :- ग्राम पंचायत माजरा अहीर

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :- 129/2019

दायर दिनांक :- 09.12.2019

निर्णय दिनांक :- 12.11.2021

उनवान

01. मौसम देवी पत्नी मुकेश जाति अहीर निवासी बाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

---वादीया

बनाम

01. राजस्थान सरकार जर्ये जिलाधीश महोदय अलवर जिला अलवर राज0
02. श्रीमान तहसीलदार साहब बहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर तहसील बानसूर जिला अवलर राज0
03. मौसम देवी पत्नी मुनेश जाति अहीर निवासी बाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

---प्रतिवादी असल

दावा इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राजात

अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागणः-

01. वादीयाः- श्री धर्मपाल एड.
02. प्रतिवादीगणः- पैरोकार सरकार

पर्चा डिक्री

अतः वादीया का वाद डिक्री कर आदेश है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1949 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1987 रकबा 0.76 हैक्टेयर, 1093 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1096 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 1919 रकबा 0.49 हैक्टेयर, 1925 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 1935 रकबा 0.39 हैक्टेयर, 1936 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1948 रकबा 0.11

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

हैक्टेयर, 2464 रकबा 0.56 हैक्टेयर, 2465 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 2463 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 1947 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 1091 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1602 रकबा 1.27 हैक्टेयर, 1002 रकबा 0.43 हैक्टेयर, 1019 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 1089 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1090 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1115 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1118 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1029 रकबा 1.02 हैक्टेयर वाके मौजा बाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 में दर्ज मौसम पत्नी मुनेश के बजाय मौसम पत्नी मुकेश दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राजात यथावत रहें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
बानसूर अलवर
बानसूर (अलवर)

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बाबरिया में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
बानसूर अलवर
बानसूर (अलवर)